



राजस्थान-सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
सामाजिक लेखा परीक्षा जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी (SSAAT)
(E mail :DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN, Tel. 2227033)

75
Azadi Ka
Amrit Mahotsav

क्रमांक: एफ 61(188)SSAAT / लोकपाल अपीलेट अथोरिटी / **820**

जयपुर, दिनांक:- **17.06.2025**

कार्यालय आदेश

ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशा - निर्देश दिनांक 20.03.2023 के तहत महात्मा गांधी नरेगा योजना में योजना के क्रियान्वयन संबंधित शिकायतों के निराकरण बाबत लोकपाल नियुक्ति का प्रावधान किया है तथा राज्य सरकार लोकपाल के निर्णयों से व्यथित किसी भी पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए एक तीन सदस्यीय अपीलीय अथोरिटी का गठन किए जाने का प्रावधान है।

उक्त प्रावधानों के तहत राज्य स्तरीय चयन समिति की अनुशंसा पर निम्नानुसार तीन सदस्यीय लोकपाल अपीलेट अथोरिटी का गठन किया जाता है। जिनका कार्यकाल कार्य ग्रहण करने की तिथि से 02 वर्ष या 68 वर्ष की आयु तक जो भी पहले हो तक के लिए मान्य होगा।

क्र.सं.	श्रेणी	तीन सदस्यीय लोकपाल अपीलेट अथोरिटी का नाम व पता	अपीलेट अथोरिटी में अध्यक्ष/सदस्य
1.	सेवानिवृत्त सिविल सर्वेंट	श्री द्वारका प्रसाद यादव प्लॉट नं.25, सीता विहार, दादी का फाटक, बैनाड़ रोड, जयपुर 302012	अध्यक्ष
2.	शिक्षाविद् (अध्यापक)	श्री महेश कुमार दादानी पुष्करणा ब्राह्मण मंदिर के पास, बोरियो का बास जिला बाडमेर 344001	सदस्य
3.	प्रतिनिधि सिविल सोसायटी संगठन	श्री गजेन्द्र सिंह मांझी एस-17, एफ-1 शांति भवन, नियर लेवर कोर्ट, शान्ति नगर, खातीपुरा रोड एनबीसी जयपुर 302006	सदस्य

उक्त तीन सदस्यीय लोकपाल अपीलेट अथोरिटी पद पर नियुक्ति, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, ग्रामीण विकास विभाग, महात्मा गांधी नरेगा डिविजन, द्वारा लोकपाल और अपीलेट अथोरिटी हेतु जारी संशोधित दिशा निर्देश F.No 11015/112022-RE-III(380157) दिनांक 20.03.2023 में उल्लेखित शर्तों के अध्याधीन होगी (प्रति सलग्न)।

चयनित व्यक्तियों को अपनी उपस्थिति, आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि में आयुक्त (ईजीएस), महात्मा गांधी नरेगा, शासन सचिवालय, उत्तर पश्चिम भवन, जयपुर, राजस्थान को देकर अपनी कार्य ग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को भिजवायें।

सलग्न:- उपरोक्तानुसार

(श्रेयो गुहा)

अतिरिक्त मुख्य सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान

क्रमांक: एफ 61(188)SSAAT / लोकपाल अपीलेट अथोरिटी / **821-33**

जयपुर, दिनांक **17.06.2025**

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग, राजस्थान।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, (महात्मा गांधी नरेगा) ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
7. निजी सचिव, आयुक्त EGS, जयपुर, ग्रामीण विकास विभाग मंत्रालय भारत सरकार के आदेश दिनांक 20.03.2023 की पालना करने का श्रम करावे।
8. निजी सचिव, निदेशक, महात्मा गांधी नरेगा, ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार कृषि भवन नई दिल्ली।
9. निजी सचिव, जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वय (ईजीएस) समस्त जिलें।
10. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, समस्त जिला परिषद।
11. संबंधित तीन सदस्यीय लोकपाल अपीलेट अथोरिटी श्री..... को पालनार्थ प्रेषित है।
12. प्रोग्रामर, / सूचना सहायक (SSAAT), को पालनार्थ।
13. रक्षित पत्रावली।

(मोहम्मद मोहसिन खान)
निदेशक (SSAAT)